रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2017/फाल्गुन 25, 1938
No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2017/PHALGUNA 25, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

सा.का.नि. 252(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर विभाग, गैर-वैधानिक विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' के विभिन्न पद) भर्ती नियमावली, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:—

1. (i) इन नियमों को आयकर विभाग, गैर-वैधानिक विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आयकर विभाग, गैर-वैधानिक विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' के विभिन्न पद) भर्ती नियमावली, 2015 की अनुसूची में,—

I. **कैंटीन सहायक** पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,—

कॉलम 4 में:

(क) शीर्ष 'वेतनमान' में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 1800 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 1 (18000-56900 रूपए) "शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

कॉलम 11 में : लागू नहीं है ।

II. सहायक हलवाई एवं रसोईया पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—

कॉलम 4 में:

(क) शीर्ष 'वेतनमान' में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 1900 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 2 (19900-63200 रूपए) "शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

कॉलम 11 में:

(क) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 1800 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 1 (18000-56900 रूपए) "शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) प्रोन्नति - उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाये :—

"टिप्पण: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जायेगा।"

(ग) प्रतिनियुक्ति:- उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाए :—

"टिप्पण: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जायेगा, सिवाय वहां के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में, समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल ऐसे पद (पदों) को विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।"

III. हलवाई एवं रसोईया पद से संबंधित क्रम संख्या 3के सामने,—

कॉलम 4 में:

(क) शीर्ष 'वेतनमान' में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 2000 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 3 (21700-69100 रूपए) "शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

कॉलम 11 में:

(क) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 1900 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 2 (19,900-63,200 रूपए) "शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) प्रोन्नति - उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाये :—

"टिप्पण: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जायेगा।"

(ग) प्रतिनियुक्ति:- उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाए :—

"टिप्पण: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जायेगा, सिवाय वहां के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में, समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल ऐसे पद (पदों) को विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।"

IV. क्लर्क पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,—

कॉलम 4 में:

(क) शीर्ष 'वेतनमान' में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 1900 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 2 (19900-63200 रूपए)" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

कॉलम 11 में:

(क) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 1800 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 1 (18000-56900 रूपए)" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) प्रोन्नति - उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाये :—

"टिप्पण: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जायेगा।"

V. सहायक मैनेजर एवं स्टोर कीपर पद से संबंधित क्रम संख्या 5के सामने,—

कॉलम 4 में

(क) शीर्ष 'वेतनमान' में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 2400 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 4 (25,500-81,100 रूपए)" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

कॉलम 11 में:

(क) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 1900 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 2 (19,900-63,200 रूपए)" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "पे बैंड-I (5200-20200) तथा ग्रेड पे 2000 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर 3 (21,700-69,100 रूपए)" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) प्रोन्नति - उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाये :—

"टिप्पण: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जायेगा।"

(घ) प्रतिनियुक्ति:- उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाए :—

"टिप्पण: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है , नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जायेगा, सिवाय वहां के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में, समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल ऐसे पद (पदों) को विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

आयकर विभाग गैर-वैधानिक विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' के विभिन्न पद) भर्ती नियमावली, 2015 को सा.का.नि. सं. 838(अ) को दिनांक 18 नवंबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016, दिनांक 25 जुलाई, 2016 की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने डीओपीटी ओएम सं.एबी.14017/13/2016-स्थापना(आरआर) 9 अगस्त, 2016 के द्वारा निर्देश जारी किया है, जिसका उद्देश्य नई वेतन संरचना के अनुसार वर्तमान पे बैंड और ग्रेड पे में संशोधन करना है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से है और इसके पहले के नियमों में इसी तरह के प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/124/02/2016-17(पार्ट)/डायरी संख्या 101 /2017- प्रशा-7]

जती सिंह मीना, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. सं. 838(अ) को दिनांक 18 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 18 नवंबर, 2015 में प्रकाशित किये गए थे।